Soni ji

राजस्थान–सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

क्रमांकःनिसंशि / शैक्ष.1 / पं.33पार्ट–III/ 2014 / 36348 – 370 दिनांक 08.10.2015

समस्त प्राचार्य
राजकीय आचार्य / शास्त्री संस्कृत
महाविद्यालय राजस्थान।

विषयः– NAAC से मान्यता प्राप्त करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि NAAC से मान्यता प्राप्त करना वर्तमान में महाविद्यालयों की गुणवत्ता एवं शैक्षणिक उन्नयन के लिए आवश्यक हैं। NAAC प्रमाण पत्र महाविद्यालय के गहन निरीक्षण एवं शैक्षणिक सुविधाओं के आधार पर प्रदान किया जाता है।

इस क्रम में लेख है कि आप द्वारा अब तक अपने महाविद्यालय को NAAC से मान्यता दिलाने हेतु क्या प्रयास किये गये है। इसी क्रम में विभाग द्वारा आपको पूर्व में भी बार–बार निर्देशित किया जा चुका है।

NAAC मान्यता हेतु की जाने वाली प्रकिया के संबंध में NAAC की वेबसाईट पर उपलब्ध जानकारी प्राप्त कर इस दिशा में तत्काल कार्यवाही करें। साथ ही उक्त मान्यता के क्रम में वर्तमान स्थिति से विभाग को दूरभाष अथवा फैक्स द्वारा तत्काल अवगत करायें।

यह भी सुनिश्चित करें कि NAAC मान्यता हेतु आपकी संस्था का <u>LOI,</u> NAAC कार्यालय में आवश्यक रूप से भिजवायें एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी भिजवायें।
यदि आपके महाविद्यालय का NAAC निरीक्षण प्रस्तावित है, तो उसके संबंध में भी विभाग को अवगत करावें।

(हस्ताक्षर)
(डॉ. रामकुमार दाधीच)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

d/sanskrit siksha/M.L Nareliya ji/acd-1